युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, संयोजक एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल
United Bank of India, Convener of SLBC,West Bengal

E-mail: slbc.westbengal@unitedbank.co.in
Telephone: 033-2262-7365, 033-2231-1716

11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata- 700 001

Ref : SLBC-WB/Minutes(147) / 772 /2019

Dated, the 27th Dec,2019

विषय: दिनांक 20.12.19 को आयोजित पश्चिम बंगाल, एसएलबीसी की 147 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सितंबर, 2019 तिमाही के लिए कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक डॉ. अमित मित्रा, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय वित्त मंत्री और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के श्री अशोक कुमार प्रधान, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की संयुक्त अध्यक्षता में 20-12-2019 को 3.00 बजे होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल, कोलकाता में आयोजित की गई। गणमान्य व्यक्तियों, सरकारी विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ एलडीएम, बैठक में भाग लेने वालों की सूची संलग्न की जाती है।

पश्चिम बंगाल राज्य में संस्थागत ऋण के तहत विभिन्न मापदंडों के संबंध में बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के दौरान कार्य बिंदु के रूप में उभरते प्रेक्षण निम्नलिखित हैं।

क) सी डी अनुपात:

• 31 मार्च को 64.57% और 30 जून को 63.12% के मुकाबले 62.18% कम हुआ। हालांकि इन जिलों में इतने कम सीडी अनुपात के लिए बड़े सरकारी निक्षेप, 24 परगना (उत्तर), हुगली और पश्चिम बर्दवान के एलडीएम को सीडी अनुपात में सुधार के लिए निश्चित रणनीति बनाने के लिए कहा गया है, जो अगली तिमाही में अवश्य दिखाई दे।

• डॉ. मित्रा ने संबंधित समूहों में ऋण आवश्यकताओं की रूपरेखा के लिए बड़े आकार के ऋणों के विश्लेषण के साथ समूह-वार अध्ययन पर जोर दिया । एसबीआई एलएचओ, पश्चिम बर्दवान जिले में प्रगति की निगरानी करता है।

(कार्य बिंदु 1: 24 परगना (उत्तर), हुगली, पश्चिम बर्दवान के एलडीएम)

ख) कृषि अग्रिम:

• प्रथम अर्ध वार्षिकी के दौरान वार्षिक लक्ष्य का 40% केवल कृषि के तहत ऋण विनियोजन रहा । यह एक चिंता का विषय है। प्रस्तावों के सृजन के साथ कैंप मोड में त्वरित वित्त के लिए एसएलबीसी एवं एआरडी विभाग (117 डेयरी, 67 मुर्गी पालन 80 बकरी पालन और 49 सूअर पालन केंद्र) द्वारा चिह्नित / अनुसमर्थित केंद्रों को अग्रसक्रियता के साथ अपनाने की सलाह दी गई।

(कार्य बिंदु 2: सदस्य बैंक)

• यह राज्य सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक और देश में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रकार राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए पर्याप्त अवसर है। एमएनसी जैसे आईटीसी, पेप्सिको, आईएफबिन जैसे उत्पाद स्त्रोत केंद्र स्थापित करने वालों को शामिल किया जा सकता है। एसएलबीसी, नाबार्ड और खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी विभाग केंद्रित ऋण लिंकेज के लिए संभावित केंद्रों की पहचान और अपनाने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित करें ।

(कार्य बिंदु 3: एसएलबीसी, नाबार्ड और लाइन विभाग)

सी) केसीसी अग्रिम:

• श्री ए के प्रधान ने बैंकों को केसीसी योजना के दायरे में 33 लाख गैर-ऋणी किसानों को बंगला शस्य बीमा योजना में लाने के लिए प्रेरित किया, जो कार्यक्रम की संपृक्तता भी सुनिश्चित करेगा।

(कार्य बिंदु 4: सदस्य बैंक और कृषि विभाग)

• केसीसी की परिपूर्णता प्राप्त करने पर उचित अधिकारियों से बैंक शाखाओं द्वारा कृषक बंधु योजना के लाभार्थियों की सूची एकत्र की जानी चाहिए । केसीसी परिपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी इस संबंध में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।

(कार्य बिंदु 5: सभी सदस्य बैंक और लाइन सरकार विभाग)

• डॉ. ए मित्रा ने बताया कि केसीसी योजना के तहत ब्याज सहायता के प्रावधान के साथ संबद्ध गतिविधियों और मत्स्य गतिविधियों का कवरेज बहुत कम है और सलाह दी जाती है कि एएच एवं एफ योजना के तहत अनुपूरक ऋण के लिए पात्र मौजूदा फसल ऋण किसानों को लक्ष्य करें, जिससे व्यापार की विविधता आएगी ।

• बीमा कंपनियों को तदनुसार बीमा कवर की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

(कार्य बिंदु 6: एसएलबीसी, सदस्य बैंक, बीमा कंपनियां, एआरडी विभाग और मत्स्य विभाग)

घ) फसल बीमा, कृषक बंधु योजना और अन्य:

• संबंधित समस्याओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्राधिकारी किसानों को खरीफ और रबी मौसम के दौरान कृषक बंधु योजना के तहत चेक के माध्यम से सहायता प्रदान करेगा। यह बैंकों द्वारा बिना देरी / नामंजूरी के आगे के संग्रह के लिए समय पर जमा किया जाएगा।

(कार्य बिंदु 7: सदस्य बैंक)

• वर्ष 2019 में फसल क्षति के लिए बीमा कंपनियों को विशेष रूप से हुगली, पुर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर के दावों को जल्द से जल्द निपटाना हैं। इसी तरह, जिन बैंकों को पिछले 3 वर्षों के दावा निपटान के मामलों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना बाकी है, उन्हें बीमा लेखा-परीक्षा कार्यों को बंद करने के लिए उसका अनुपालन करना चाहिए।

(कार्य बिंदु 8: बीमा कंपनियां और सदस्य बैंक)

• बैंकर समय-समय पर सरकार के प्राधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पात्र किसानों को आरबीआई के मानदंडों के अनुसार राहत दें ।

(कार्य बिंदु 9. सदस्य बैंक और एलडीएम)

ड़) एमएसएमई अग्रिम:

• प्रथम छमाही के समाप्ति पर एसीपी के मुकाबले उपलब्धि 50% से अधिक (रु. **75000** करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रु. **35089** करोड़) रहा ।

• श्री ए के प्रधान ने बैंकों को सलाह दी कि वे आरबीआई के मानदंडों के अनुसार योग्यता के आधार पर एमएसएमई खातों का पुनर्गठन करें। (कार्य बिंदु 10: सदस्य बैंक)

• क्लस्टर दृष्टिकोण पर एसएलबीसी प्रयास के तहत प्रायोजकों द्वारा ऋण लेने वालों की पहचान और आवेदन प्राप्त करने की पहल की शुरूआत पहले ही हो चुका है, सभी प्रस्तावों को प्रायोजक के माध्यम से तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएँ, जिसके बाद बैंकों द्वारा उनका निपटान किया जाए ।

(कार्य बिंदु 11: क्लस्टर में सभी डीआईसी, केवीआईबी, हथकरघा विभाग और सदस्य बैंक)

च) एसएचजी अग्रिम:

• डॉ. मित्रा ने बैंकों को जल्द से जल्द स्वीकृत सीमा के पूर्ण संवितरण के माध्यम से एनआरएलएम ऋणों में मंजूरी और संवितरण के बीच के अंतर को कम करने की सलाह दी है और यह भी कहा कि एसएचजी को निर्यात उन्मुख गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

(कार्य बिंदु 12: सदस्य बैंक और डब्लूबीएसआरएलएम)

• डब्लूबीएसआरएलएम के एसएमडी और सीईओ सुश्री सी. डी. लामा ने विचार व्यक्त किया कि बैंकों को एनआरएलएम ऋणों की प्रभावी वसूली और निगरानी के लिए सीबीआरएम के लिए एक महीने में एक विशेष दिन तय करना चाहिए।

(कार्य बिंदु 13: एलडीएम को संबंधित जिलों के लिए तारीख तय करने की सलाह दी जाती है)

• श्री डी सरकार, सचिव, एसएचजी और एसई विभाग ने सूचित किया है कि भागीदारी करने वाले कुछ बैंकों जैसे एसबीआई, सीबीआई, यूको बैंक, आदि के ब्याज सब्सिडी के लिए दावा लंबित है। उसे तुरंत मंजूरी दे दी जानी चाहिए। (कार्य बिंदु 14: सदस्य बैंक)

छ) एनपीए वसूली:

• श्री ए के प्रधान ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि जिला मजिस्ट्रेट एसएलबीसी डेस्क द्वारा बताए अनुसार 2068 एनपीए खातों में रु.324 करोड़ हेतु अनुमति देने की प्रक्रिया में तेजी लाए, ताकि बैंकों को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत जमानती आस्तियों पर कब्जा करने में समर्थ बनाया जा सके। (कार्य बिंदु 15. पश्चिम बंगाल सरकार)

ज) अन्य ऋण संबंधित मदें:

• पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सचिव सुश्री एम मीणा ने बताया कि अब तक विशेष घटक योजना (एससीपी) के तहत विभाग द्वारा प्रायोजित 5000 ऋणों को पिछले वर्ष 13000 की तुलना में स्वीकृत किया गया है। बैंकों को लंबित प्रस्तावों का निपटान करना है।

(कार्य बिंदु 16: सदस्य बैंक)

• डॉ. पी मजूमदार ने बताया कि 1380 कस्टम हायरिंग केंद्रों में से 147 केंद्र अब तक समर्थित हैं। बहरहाल, यह बताया गया है कि संवितरण में देरी हो रही है और योजना के तहत 40% सब्सिडी उपलब्ध होने के बावजूद, कुछ शाखाएं 100% संपार्श्विक पर जोर दे रही हैं। इन केंद्रों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए विभाग की जिलावार सूची भी प्रस्तुत करनी है।

(कार्य बिंदु 17: सदस्य बैंक और समकक्ष विभाग)

• श्री ए के प्रधान ने भी बैंकों को आरसेटी प्रशिक्षित उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में तेजी लाने की सलाह दी ताकि अगले वित्त वर्ष में निपटान अनुपात में 70% से 90% तक सुधार हो।

(कार्य बिंदु 18: आरसेटी निदेशक और सदस्य बैंक)

• नाबार्ड के सीजीएम श्री एस के मंडल ने बैंकों को निम्नलिखित मामलों में सहमति प्रदान की।

i) रुपे केसीसी कार्ड को सक्रिय करना

ii) 10 अन्य जिलों में ई-शक्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन

iii) माइक्रो एटीएम के लिए नाबार्ड की सहायता

iv) सब्सिडी लिंक्ड ऋणों सहित सब्सिडी हेतु दावों का निपटान

v) मधुमक्खी पालकों के लिए ऋण और एसएलबीसी द्वारा लक्ष्य का आबंटन

(कार्य बिंदु 19: नाबार्ड / एसएलबीसी और सदस्य बैंक)

झ) डिजिटल जिला:

• नदिया जिले के डिजिटलीकरण पर ध्यान क्रेंद्रित करना ताकि डिजिटल जिले की अवधारणा को उक्त जिले के लिए तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जा सके। जालसाजों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

(कार्य बिंदु 20: नदिया जिले के एलडीएम और सदस्य बैंक)

ञ) गैर-बैंक ग्रामीण केंद्र:

• सदस्य बैंक को एसएलबीसी डेस्क द्वारा आवंटित 40 यूआरसी में बैंकिंग आउटलेट खोलने का काम पूरा करना होगा। (कार्य बिंदु 21: सभी आबंटिती सदस्य बैंक)

ट) विविध:

• कार्यसूची नोट में दी गई अन्य सभी कार्यसूची, जो कि उपर उल्लिखित नहीं है, पर भी चर्चा की गई। यद्यपि बैंकरों के प्रति संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई विशेष निर्देश नहीं है, लेकिन राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाली दो तिमाहियों के दौरान सभी हितधारकों की अग्रसक्रिय भूमिका अपेक्षित है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह बैठक समाप्त हुई।

मु.र.राय

महाप्रबंधक

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र-कृषि एवं एसएलबीसी, संयोजक, पश्चिम बंगाल

संलग्नक: प्रतिभागियों की सूची

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया SLBC WEST BENGAL UNITED BANK OF INDIA